अध्यादेश–1

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और उनका नामांकन

के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग में अग्रसरित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों, पत्रोंपाधियों और प्रमाणपत्रों में विद्यार्थियों का प्रवेश और नामांकन इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में विनियमित होगा।

परिभाषाएं

(क) ''अर्हकारी परीक्षा'' से अभिप्रेत है ऐसी परीक्षा जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. डॉक्टरेट या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देने हेतु अग्रसरित अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण करता है।

(ख) ''संविभाग'' से अभिप्रेत है कोई परिणाम जिसे संबंधित परीक्षा निकाय अर्थात् माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त मण्डल जैसे सी.बी.एस.ई., आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा राज्य मण्डल आदि द्वारा एक विषय में विद्यार्थी को 'अनुत्तीर्ण' घोषित किया गया हो।

(ग) ''समकक्ष परीक्षा'' से अभिप्रेत है

(एक) माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त कोई मण्डल, अथवा

(दो) संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन,

(तीन) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो, द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा ।

(घ) "अंतराल कालावधि" से अभिप्रेत है नियमित विद्यार्थी के रूप में शैक्षणिक संस्थान (कोचिंग संस्थाओं को छोड़कर) में अंतिम उपस्थिति की तिथि और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के बीच की कालावधि।

1. प्रवेश हेतु पात्रता

1.1 सभी छात्रो का प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा और के. के. विश्वविद्यालय के सविधान और विनियमों में निर्धारित शर्तो के अधीन व्यक्तियों के सभी वर्गो के लिए खुला होगा।

1.2 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के अधीन प्रवेश हेतु कोई व्यक्ति तब तक पात्र नही होगा जब तक वह भारतीय विश्वविद्यालय या मण्डल या विश्वविद्यालय के वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो तथा विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर इन परीक्षाओं के समतुल्य न माना गया हो।

1.3 उम्मीदवारों को प्रवेश प्रावीण्यता आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य इस परीक्षा जो किसी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय निकाय (शासकीय अथवा निजी) द्वारा आयोजित की गई मैं उनके निष्पादन के आधार पर दिया जा सकेगा। ऐसी परीक्षाओं जेईई, गेट, सीएटी, जीमेट, नेट, जी आर आई, एनएमटी, सीएसएटी, एस टी, आईईएलटीएस बीएएमएस सीएलएसए, एन एस क्य एफ, आदि सम्मिलित है अथवा अन्य कोई परीक्षा जिसे प्रबंध मंडल विहित करें तथा अथवा छात्रवृत्ति फेलोशिप आप कर रहे उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया जाकर भी प्रवेश दिया जा सकेगा इन सब का विस्तृत ब्यूरो विश्वविद्यालय के ब्रोशर में अग्रिम रूप से प्रकाशित किया जावेगा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, 'प्रोजेक्टिव' / 'वर्णनात्मक' प्रकृति और बहुत उच्च मानक हो सकती है। प्रत्येक कार्यक्रम / अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की प्रयोज्यता के बारे में विशिष्ट विवरण प्रबंधन मंडल द्वारा निर्णय लिया जाकर सूचीपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

1.4 विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु निर्बंधन, छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा, परंतु यह कि विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास वैध योग्यता होना चाहिए।

1.5 किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पूर्व स्नातक डिग्री परीक्षा या विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर समकक्ष डिग्री के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो और ऐसी और योग्यता धारण नहीं करता/करती हो, जैसा कि अध्यादेश द्वारा विहित किया जाये।

1.6 विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थयों को विद्या परिषद् उसके लिए विहित एवं समय–समय पर विवरणिका में प्रकाशित शर्तों को पूर्ण करना होगा।

1.7 यह कि विश्वविद्यालय को महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग; इनमें अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हो सकते हैं। के प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करने से निषेधित नहीं किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सीटें और शुल्क छूट, शुल्क का संरक्षण राज्य द्वारा स्थापित मानदंडों / नीतियों के अनुसार माना जाएगा।

1.8 प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण, विभिन्न संवैधानिक निकायों जैसे, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई, एमसीआई आदि से अनुमोदन एवं पर्याप्त भौतिक सुविधा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा।

2. प्रवेश हेतु प्रावधान

2.1 कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के रूप में प्रवेश का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

2.2 प्रवेश की प्रकिया विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जायेगी एवं विवरणिका में प्रकाशित की जायेगी।

2.3 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, समस्त पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, मेरिट के आधार पर और/या प्रवेश समिति या समुचित शासकीय निकाय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दी जायेगी।

2.4 प्रत्येक सेमेस्टर के शुरूआत में या विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

2.5 सभी आवेदकों को प्रवेश के लिए आवेदन पूरा करना होगा और गैर–वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

2.6 प्रवेश हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे–

(एक) नियमित विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी द्वारा अंतिम उपस्थिति का संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।

(दो) मूल प्रति जिसे सत्यापन के पश्चात् लौटा दिया जायेगा के साथ अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति जिससे दर्शित होगा कि आवेदक, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और विद्यार्थी जो स्वाध्यायी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण है की स्थिति में एक प्रमाण पत्र जिसे दो जिम्मेदार व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि आवेदक का चरित्र अच्छा है। यदि आवेदक प्रवेश हेतु उपरोक्त कथित अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भिन्न मण्डल से या इस विश्वविद्यालय से भिन्न अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, तो वह पात्रता हेतु विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और/या ऐसे मण्डल या विश्वविद्यालय के सचिव या कुलसचिव से आव्रजन प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिती हो, आव्रजन फीस के साथ या विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जैसा निर्धारित की जाये, प्रस्तुत करेगा।

यदि इनमें से कोई कूटरचित, छेड़छाड़ या असत्य पाया जाता है, तो विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

2.7 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन भेजने की रीति, सीधे/डाक के माध्यम से/ विश्वविद्यालय वेबसाइड/ऑनलाईन के माध्यम से हो सकेगी । विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक भारत या विदेश का कोई विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकता है ।

2.8 प्रवेश समिति आवेदनों पर कार्यवाही करेगी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के पश्चात, चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश देगी।

2.9 'संविभाग' या पूरक परिणाम के साथ विद्यार्थी को किसी पाठ्यक्रम में ''अनंतिम'' प्रवेश दिया जा सकेगा यदि अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें वह अन्यथा सामान्य रूप से प्रवेश प्राप्त करता/करती, यदि वह ग्रेड को उत्तीर्ण करता/करती। ऐसे प्रवेश का पुष्टिकरण, विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा फार्म भरने के पूर्व उस अर्हकारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा।

2.10 प्रवेश के समय, प्रत्येक विद्यार्थी और उसका/उसकी माता–पिता या विधिक पालक से इस आशय का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेना अपेक्षित होगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक और धन संबंधी अधिकारिता के अधीन विद्यार्थी स्वयं को रखेगा।

2.11 कोई विद्यार्थी, जिसने अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता देने वाली निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है, को संकाय के अधिष्ठाता द्वारा विभाग प्रमुख के परामर्श से इसकी समतुल्यता सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

2.12 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रत्येक सेमेस्टर के माह के भीतर या कुलपति द्वारा विनिश्चित तिथि पर होगा।

2.13 प्रवेश की अंतिम निर्दिष्ट तिथि के रूप में शैक्षणिक मंडल द्वारा तय की गई तिथि पर यदि अवकाश हो जाता हैं तो अगला कार्य दिवस प्रवेश का अंतिम दिन होगा।

2.14 यदि प्रवेश इच्छुक कोई छात्र वास्तविक कठिनाई के कारण प्रवेश हेतु निधरित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त ना कर पाया हो तो ऐसी स्थिति मे उप – कुलाधिपति यदि संतुष्ट हो तो विलंब से प्रवेश दे सकेंगे । ऐसे छात्र की गणना पाठ्यक्रम प्रारंभ की तिथि से होगी ।

2.15 पंजीयन की वैधता की कालावधि यूजीसी के विनियम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

2.16 किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश, विशेषीकृत पाठ्यक्रम, जिसमें प्रवेश चाहा गई है, में रिक्त सीट की उपलब्धता के अध्यधीन होगी।

2.17 सभी पाठ्यक्रमों में विलंब से प्रवेश, संबंधित विनियामक निकायों और विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में विहित अनुसार अनुज्ञात किया जायेगा।

2.18 एनएसक्यूएफ स्तर के अनुसार पूर्व शिक्षण मूल्यांकन (पीएलए) किया जाएगा। पीएलए बेहतर अवसरों और उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए अपने वर्तमान ज्ञान और कौशल स्तर को जोड़ने का मार्ग प्रदर्शित करेगा।

2.19 छात्र पंजीकरण की वैधता निम्नलिखित अवधि के लिए होगी:

2.19.1. प्रमाणपत्र / एक वर्षीय डिप्लोमा / पी जी डिप्लोमा कार्यक्रम – 3 वर्ष

2.19..2. तीन वर्ष का बैचलर कार्यक्रम – 7 वर्ष

2.19..3. परास्नातक डिग्री और दो वर्ष के कार्यक्रम – 5 वर्ष

2.19..4. 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम – 8 वर्ष

2.19..5. 1 और 1/2 वर्ष एम फिल कोर्स – 3 वर्ष

2.19..6. पीएचडी – 6 वर्ष

3. कतिपय आधारों पर प्रवेश हेतु प्रतिषेध

3.1 कोई विद्यार्थी एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेगा।

3.2 सिवाय इसके कि उपाधि पाठ्यक्रम के छात्रों को अंशकालिक प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में या कार्यक्रम / पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुमति दी जा सकती है। अथवा दूरस्थ शिक्षा / हाइब्रिड / ऑनलाइन मोड के छात्र भी ऐसा कर सकेगें परंतु ऐसे छात्र को ऐसे अतिरिक्त कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई विद्यार्थी अंशकालीन या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा, यदि वह इस उद्देश्य हेतु बनाये गये प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक अर्हता को पूर्ण करता/करती हो ।

3.3 विद्यार्थी उसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। तथापि, वह उसी संकाय के उच्च पाठ्यक्रम में या उसी स्तर के भिन्न क्षेत्र में अतिरिक्त डिप्लोमा/डिग्री हेतु प्रवेश ले सकता है । किंतु वह पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता हों।

3.4 कोई भी जिसे के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग के समक्ष प्राधिकारी द्वारा, निलंबित, अस्थायी रूप से निकाला गया हो, रोका गया हो, निष्काषित आदि किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा करने से, प्रतिषेध किया जायेगा।

3.5 यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य/अस्पष्ट पाई जाती है तो के. के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

3.6 कोई अभ्यर्थी जो पूर्ण कालिक नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में गलत प्रवेश लिया है तो विश्वविद्यालय में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में उसके अधिकार को समपहरित कर लिया जायेगा तथा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में के.के. मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग के किसी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3.7 कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्काषन की सजा के अधीन हो या परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया हो, निष्काषन या अयोग्यता की कालावधि के दौरान इस विश्वविद्यालय के अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जायेगा।

3.8 कोई विद्यार्थी, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित है, उसे संस्थान के किसी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित न किया गया हो।

3.9 उपर्युक्त उप–खण्ड 2.5 में अंतर्विष्ट प्रावधानों से प्रतिकूलता के बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित विद्यार्थी का विभाग के किसी कक्षा में प्रवेश, जहां ऐसा कोई सामान्य या विशेष निर्देश द्वारा ऐसी अनुमति आवश्यक हो, कुलसचिव की पूर्वानुमति के बिना नहीं दिया जायेगा।

3.10 स्नातक डिग्री/ऑनर्स पाठ्यक्रम अग्रसरित करने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किये जायेंगे जब तक विशेषीकृत डिग्री परीक्षा हेतु विहित समस्त विषयों में उपस्थित होने हेतु आवेदक तैयार न हो।

3.11 विद्यार्थी, जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो, उसे कुलपति या समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय में ऐसे परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3.12 अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरण पर आ रहे अभ्यर्थियों को क्योंकि उनके माता–पिता/पालक या किसी वास्तविक कारणों से स्थानांतरण हो गया है, प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दिया जायेगा।

3.13 विद्यार्थी, जो सत्र प्रारंभ होने के पश्चात् संस्थान में प्रवेश का इच्छुक है, के द्वारा पूरे सत्र की ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

3.14 ऐसे उम्मीदवार जो शोध तथा भाषा में अंशकालिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य किसी नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक है तथा जिसकें द्वारा कोई योग्यता डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तीन या अधिक शैक्षणिक वर्षों के लिए अध्ययन स्थगित रख गया था, ऐसे इच्छुक छात्र को भी इस उद्देश्य के लिए गठित एक प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है।

4. विद्यार्थियों का नामांकन

4.1 विभाग/स्कूल प्रमुख, प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिवस के भीतर विहित प्ररूप में, प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण, समस्त सुसंगत मूल दस्तावेजों एवं नामांकन फीस के साथ जैसा कि विद्या परिषद समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें, कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

4.2 प्रवेश के समय विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण और आव्रजन प्रमाण पत्र, के. के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग की संपत्ति होगी।

4.3 नामांकित विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय छोड़ते समय के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग की मुद्रा के अधीन नयी स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

4.4 किसी व्यक्ति का के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग की किसी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में सही तरीके से नामांकित नहीं हुआ हो।

4.5 यदि कोई विद्यार्थी आव्रजन प्रमाण पत्र अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु लेता है तो विश्वविद्यालय से उसका/उसकी नामांकन ऐसे समय तक समाप्त रहेगा जब तक वह के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग के कुछ अन्य परीक्षा को लेने हेतु उस विश्वविद्यालय से आव्रजन प्रमाण पत्र के साथ वापस नही होता/होती है । ऐसे मामलों में नये नामांकन एवं नामांकन शुल्क अनिवार्य होगा ।

4.6 कुलसचिव, के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग में शोध कार्य या विभिन्न संकायों या संस्थानों में अध्ययनरत सभी नामांकित छात्रों या शोध कार्य कर रहे सभी विद्यार्थियों की एक पंजी संधारित करेगा ।

4.7 उपर्युक्त पैरा 4.6 में, उक्त पंजी में कुलसचिव विद्यार्थी से संबंधित समस्त विवरण जिसमें जन्म तिथि, प्रवेश की तिथि, संस्था छोड़ने की तिथि तथा उसको प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के विभिन्न परीक्षाओं के बारे में विवरण सम्मिलित होंगे, निर्मित करना आवश्यक होगा।

4.8 विद्यार्थियों को नामांकन की सूचना दी जायेगी। नामांकन क्रमांक जिसमें विश्वविद्यालय के नामांकन पंजी में उसका नाम प्रविष्ट किया गया है तथा विश्वविद्यालय के साथ समस्त पत्राचार में विद्यार्थी द्वारा उस नामांकन क्रमांक को उद्धृत किया जायेगा और के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग की परीक्षा में प्रवेश हेतु पश्चातवर्ती आवेदनों में उद्धृत की जायेगी ।

4.9 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों का नामांकन पंजी के संदर्भ में परीक्षण किया जायेगा । परीक्षा नियंत्रक अभ्यर्थी के आवेदन को जिसमें पूर्ण विवरण नही दिया गया हो, रद्द कर सकेगा तथा विहित समय–सीमा के भीतर अभ्यर्थी को पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज के साथ प्रस्तुत होना होगा ।

4.10 कोई नामांकित विद्यार्थी, विहित शुल्क के भुगतान करने पर नामांकन पंजी में उससे संबंधित प्रविष्टियों की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकेगा ।

5. नाम में परिवर्तन.–

5.1 विद्यार्थी, जो नामांकन विभाग के पंजी में अपना नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन कर रहा हो, विभाग प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा–

(एक) विहित शुल्क

(दो) उसका वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से संबंधित शपथपत्र, जिसमें अवयस्क की स्थिति में मजिस्ट्रेट या नोटरी की उपस्थिति में उसके माता–पिता या पालक या वयस्क की स्थिति में स्वयं के द्वारा सम्यक् शपथ दिया गया हो ।

(तीन) समाचार पत्र में प्रकाशित प्रति जिसमें नाम में प्रस्तावित परिवर्तन को विज्ञापित किया जा चुका हो जहां महिला अभ्यर्थी विवाह के पश्चात् अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती हो तो ऐसी दशा में प्रकाशन से संबंधित प्रावधान लागू नही होंगे ।

कुलसचिव ऐसे आवेदनों पर विचार कर उस पर निर्णय लेगा और कुलपति को रिपोर्ट देगा तथा विश्वविद्यालय के अभिलेख में आवश्यक सुधार करेगा।

6. विषय परिवर्तन.–

विद्यार्थी को सामान्यतः पाठ्यक्रम के वैकल्पिक/गौण/विशेषज्ञता के विषयों को बदलने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक वह प्रवेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अनुमति हेतु आवेदन न किया हो। ऐसे आवेदनों को संबंधित विभाग के प्रमुख की सहमति के साथ संस्था या संकाय के प्रमुख के पास जमा करना चाहिये ।

7. राज्य शासन की नीतियों के प्रकाश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/बालिका श्रेणी से संबंधित विद्यार्थी को प्रवेश समिति द्वारा समय–समय पर विहित निबंधनों, शर्तों और प्रावधानों पर प्रत्येक वर्ष प्रवेश दिया जायेगा ।

टीपः– विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित, पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधानों के संबध में किसी अस्पष्टता की दशा में, कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

8. प्रवेश समिति.–

8.1 विश्वविद्यालय में प्रवेश के विनियमन हेतु प्रत्येक संकाय/विभाग में एम.फिल, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु कुलपति द्वारा एक प्रवेश समिति गठित की जायेगी ।

8.2 समितिः

(एक) विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित प्रवेश की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्रों का परीक्षण करेगी;

(दो) प्रवेश परीक्षा (ओं) और/या साक्षात्कार का या अन्यथा उपबंधित अनुसार संचालन करेगी ;

(तीन) प्रवेश परीक्षा (ओं) के मूल्यांकन के पश्चात्, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों से संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या से तीन गुना आमंत्रित किया जायेगा : परंतु केवल उन अभ्यथियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जिन्होंने प्रवेश परीक्षा (ओं) में यथा विनिश्चित कम से कम न्यूनतम अंक प्राप्त किये हैं ।

(चार) प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों पर आधार मेरिट सूची तैयार करेगी;

(पांच) कमेटी के अध्यक्ष या संबंधित संकाय के संस्थान के प्रमुख द्वारा अनंतिम प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी;

(छः) प्रवेश परीक्षा (ओं) की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार की प्रविधि का सुझाव देगी;

(सात) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/बालिका विद्यार्थी श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निबंधन, शर्त एवं प्रावधानों पर कुलपति को अनुशंसा करेगी।

8.3 पदेन सदस्यों के अलावा समिति के सदस्यगण एक शैक्षणिक वर्ष के कार्यकाल हेतु पद धारित करेंगे ।

8.4 कोरम के लिए समिति के सदस्यों की कुल संख्या तीन–चौथाई से कम नही होना चाहिये ।

9. अंतराष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश

9.1 **प्रस्तावना**– ये नियम के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की पात्रता एवं प्रवेश हेतु प्रक्रिया को निश्चित करने के अनुसरण में विरचित किये गये हैं।

9.2 **कार्यालय**– अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन को संपादित करने एक 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल' स्थापित किया जायेगा। यह सेल न केवल विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा अपितु प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं काउंसिलिंग भी उपलब्ध करायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों से संबंधित समस्त पत्राचार में संस्थान के अंतराष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार को संबोधित किया जाना चाहिए।

9.3 **अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी**:– इन मार्गदर्शनों के अधीन 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

एक. विदेशी विद्यार्थी – उनके मुल्कों द्वारा जारी पासपोर्ट धारण करने वाले विद्यार्थी, जिसमें भारतीय मूल के लोग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने विदेशी मुल्कों की राष्ट्रीयता अर्जित की है, विदेशी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे।

दो. अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) – केवल वे अप्रवासी भारतीय विद्यार्थी जिन्होंने विदेशी मुल्कों में विद्यालयों या महाविद्यालयों से अध्ययन किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हों, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। इसमें विदेशी मुल्कों में स्थित विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे, यदि वह भारत में अवस्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से संबद्ध हो। तथापि, इन विद्यालयों या महाविद्यालयों (भारत में अवस्थित) और विदेशी मूल्कों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालयों से संबद्ध में अध्यनरत विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे। भारत में बाह्य विद्यार्थी एवं अप्रवासी भारतीय के रूप में आश्रित हैं, विदेशी मुल्कों में अवस्थित मण्डलों या विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे।

देश में प्रवेश पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की प्रवेश स्तरीय प्रास्थिति को अनुरक्षित रखा जायेगा।

9.4 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अपेक्षित दस्तावेज–

एक. **वीजाः**– समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम को ग्रहण करने हेतु इस संस्थान को पृष्ठांकित करते हुए विद्यार्थी वीसा आवश्यक होगा, अन्य को पृष्ठांकित स्वीकार्य नही होगा। विद्यार्थी जो शोध कार्यक्रम को ग्रहण करने का इच्छुक है, इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीजा अपेक्षित होगा। यह वीजा, पाठ्यक्रम हेतु विहित कालावधि के लिए वैध होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए वीजा अपेक्षित नहीं है। विद्यार्थी जो किसी अन्य संस्थानों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, अल्पकालिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने हेतु पृथक वीजा की आवश्यकता नहीं होगी परंतु यह कि पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण कालावधि हेतु उनका वर्तमान वीजा वैध है।

दो. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र**– समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो किसी शोध कार्य करने का इच्छुक हो या कोई विश्वविद्यालय कार्यक्रम ग्रहण करने का इच्छुक है तो उसे गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा परिशोधन और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा यह इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीजा होना चाहिए।

तीन. समय–समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

9.5 **पात्रता योग्यताः** विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए आवश्यक योग्यताएं विवरणिका में जांच की जा सकती है। केवल उन विद्यार्थियों को जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा के मण्डलों से अर्हित हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक हो, भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसकी समकक्षता की जांच करेगी।

9.6 **अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेशः** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल के माध्यम से होगा। विद्यार्थी को सामान्यतः पाठ्यक्रम के आरंभ में प्रवेश दिया जायेगा। यद्यपि स्थानांतरण की दशा में यदि अभ्यर्थी पात्र है तो अन्य संस्थानों से पाठ्यक्रम के मध्य में भी स्थानांतरण के रूप में विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश दो स्तरों में किया जायेगा। पहले विद्यार्थी संस्था ग्रहण करने, आवेदन प्रपत्र और संस्थान की विवरणिका और संस्थान के वेबसाइट से आवश्यक पात्रता, उपलब्ध पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रकिया हेतु जानकारी प्राप्त करेगा। अनंतिम प्रवेश हेतु आवेदन विहित फीस के साथ अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल को प्रस्तुत की जायेगी। सेल, पात्रता की जांच कर अनंतिम प्रवेश पत्र जारी करेगा। वीजा प्राप्त करने और अन्य औचपचारिकताओं को पूर्ण करना अपेक्षित है।

अनंतिम प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी को वीजा और अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी संस्थान में अंतिम प्रवेश हेतु, जहां वह पाठ्यकम को ग्रहण करना चाहता/चाहती है, प्रतिवेदन देगा। अगले चरण में संबंधित स्थान से आवेदन प्रपत्र भर कर आवश्यक फीस का भुगतान करेगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी कों चिकित्सा परीक्षण कराना होगा। विद्यार्थी के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग या विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत/मान्यता प्राप्त कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित अंग्रेजी दक्षता परीक्षा के लिये उपस्थित हो सकेंगे। यह एक बार हो जाने पर अंतिम प्रवेश दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यू.एस. डॉलर में फीस का भुगतान करेगा। विशेष प्रकरण में समकक्ष भारतीय रूपये में फीस का भुगतान करने की अनुमति होगी। अनंतिम प्रवेश अर्जित करने हेतु सामान्यतः निम्नलिखित फीस देय होगी:

(क) प्रपत्र फीस (बुलेटिन के मूल्य में सम्मिलित, यदि क्रय किया जाता है);

(ख) पात्रता फीस एवं

(ग) प्रशासनिक फीस (सीधे प्रवेश एवं स्थानांतरण के मामले के लिए भिन्न हो सकता है)।

9.7 **अंग्रेजी में उपचारात्मक पाठ्यक्रमः** विद्यार्थी जिसे अंग्रेजी में प्रवीणता या आधार पाठ्यक्रम के अधीन परीक्षा देना आवश्यक है, विहित फीस जैसा लागू हो का भुगतान करेगा। इसका भुगतान विद्यार्थी तब करेगा जब अंतिम रूप से प्रवेश होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस समय–समय पर भिन्न होगा।

अनंतिम प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात्, विद्यार्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त नहीं करता है तो बैंक कमीशन और डाक फीस जैसा कि लागू हो, कटौती कर प्रशासनिक फीस वापस कर दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे भारत के बाहर के विश्वविद्यालय या संवैधानिक मण्डल से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, किसी अन्य संगठन संस्था द्वारा संचालित अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी को जो या तो अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो या इस परीक्षा में उपस्थित हो सकने में असफल हो, उसे संस्थान द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम (आरइसीआईएस) या आधार पाठ्यक्रम, ग्रहण करना होगा।

विद्यार्थी पाठ्यक्रम को निरंतर करेगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के लिए उपचारात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम (आरइसीआईएस) या आधार पाठ्यक्रम जो भी पहले हो, सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा टेस्टींग सिस्टम (आईईएलटीएस) ने ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए, जो अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रवीणता को सुधारना चाहता हो, अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम को अन्य नियमित पाठ्यक्रमों के साथ–साथ या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

9.8 **पाठ्यक्रम का स्थानांतरण या परिवर्तनः** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। भारत में एक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरण की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। सामान्यतः अपवादिक मामलों में, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं पाठ्यक्रम की उपलब्धता, पात्रता नियमों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल अनुमति दे सकेगा।

9.9 **भारत सरकार के स्कालरः** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी, जिसे राष्ट्रीय एजेंसी जैसे कि आई.सी.सी.आर., यूजीसी, नई दिल्ली आदि द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, को प्रवेश देते समय और होस्टल की सुविधा हेतु विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जायेगी। विभिन्न विदेशी सरकारों से प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण, अध्ययन और शोध हेतु उसी तरह से प्राथमिकता दी जायेगी।

9.10 **अनुशासन–** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संस्थान के नियमों से बाध्य होंगे तथा भारतीय विद्यार्थी भी आचरण संहिता यदि लागू हो, उसी तरह से बाध्य होंगे।

9.11 **परीक्षा तथा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों का प्रदान किया जाना** – परीक्षा, परीक्षा फीस का भुगतान, अंकसूची जारी करने, उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों को जारी करना, डिग्री दिये जाने की प्रकिया भी ऐसी होंगी जैसा कि भारतीय विद्यार्थियों

के लिए उन पाठ्यक्रमों में है। स्नातक पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी को डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान एक बार पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। पर्यावरण अध्ययन के अंक किसी भी दशा में श्रेणी को प्रभावित नहीं करेंगे।

9.12 **उपसंहार**– नियमों के निर्वचन पर कोई भिन्नता होने की स्थिति में प्रवेश समिति सेल का अभिमत अंतिम होगा। फीस, पुनरीक्षण के दायित्वधीन होगा तथा जब लागू हो, विद्यार्थी पुनरीक्षित फीस का भुगतान करेगा। कोई बिन्दु, जो विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हुआ हो, कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। किसी प्रकार के विवाद के लिए मामले का निपटारा, केवल जिला न्यायालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में किया जायेगा।

10. **निर्देश का माध्यम** – के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग में शिक्षण का माध्यम, विशेषीकृत भाषाओं से संबंधित विषयों को छोड़कर अंग्रेजी होगी।

अध्यादेश–2
विश्वविद्यालय की परीक्षा

(धारा 28(1)(ड.))

अध्याय–एक

परिभाषाएं:

1.1 शैक्षणिक कार्यक्रम से अभिप्रेत है स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पी.एच.डी. डिग्री एवं प्रमाणपत्र के लिए अग्रसरित पाठ्यक्रम एवं/या कोई अन्य विषय।

1.2 शैक्षणिक वर्ष से अभिप्रेत है शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समर्पित 12 वर्ष की कालावधि।

1.3 सेमेस्टर प्रणाली–प्रोग्राम जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, प्रत्येक छः माह का दो सेमेस्टर में नियत है।

1.4 पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है उसके द्वारा समनुदेशित महत्वपूर्ण कोड नम्बर एवं विशिष्ट केडिट/अंक से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम के संघटक।

1.5 बाह्य परीक्षक से अभिप्रेत है परीक्षक जो विशविद्यालय या उसकी संस्था/केन्द्र/विभाग के नियोजन में हो।

1.6 आंतरिक परीक्षक से अभिप्रेत है परीक्षक जो विशविद्यालय या उसकी संस्था/केन्द्र/विभाग के नियोजन में हो।

(एक) सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की दशा में, परीक्षक, प्रश्नपत्र सेटर सहित जो विश्वविद्यालय, विभाग/अध्ययन केन्द्र या उस स्थल के लिये विश्वविद्यालय के केन्द्र के रूप में चिन्हांकित संस्था का शिक्षक हो।

(दो) प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, परीक्षक जो विश्वविद्यालय, विभाग, अध्ययन केन्द्र या संस्था जिसमें अभ्यर्थी द्वारा उस परीक्षा केन्द्र में परीक्षा दिया जा रहा है, का शिक्षक होगा।

1.7 सह परीक्षक से अभिप्रेत है प्रश्नपत्र सेटर से भिन्न लिखित प्रश्नपत्र का सह परीक्षक।

1.8 विद्यार्थी से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के प्रयोज्य अनुसार, किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय एवं उसके सहबद्ध संस्थाओं/केन्द्रों के विभागों में प्रवेशित व्यक्ति।

1.9 नियमित अभ्यर्थी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग शिक्षण विभाग या संस्था या केन्द्र में अध्ययन पाठ्यक्रम में नियमित रूप से हो, तथा जो इस प्रकार के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग की परीक्षा में प्रवेश चाहता हो।

1.10 भूतपूर्व विद्यार्थी से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो नियमित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में प्रवेश लिया था तथा उसे उस समय सफल घोषित नहीं किया गया था अथवा प्रवेश पत्र के माध्यम से, जो के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग द्वारा जारी किया गया था सही था, परीक्षा में उपस्थित होने में समर्थ नहीं था तथा उक्त परीक्षा में पुनः प्रवेश चाहता है ।

1.11 एटीकेटी अभ्यर्थी से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक न होने के कारण असफल हो गया हो जहाँ 35% की गणना में हमेशा उच्चतर अंक से पूर्णांकित किया जायेगा तथा पुनः उसी सेमेस्टर परीक्षा में जो आगामी सेमेस्टर परीक्षा में आयोजित किया जाता हो, में उपस्थित हो रहा हो ।

1.12 द्वितीय एटीकेटी अभ्यर्थी से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो सेमेस्टरांत परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक अंक प्राप्त न करने के कारण असफल हो गया हो तथा आगामी सेमेस्टरांत परीक्षा में आयोजित उसी परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने में पुनः असफल हो गया हो तथा आगामी बैच अर्थात् जूनियर बैच (उससे तत्काल जूनियर बैच) के विद्यार्थियों के लिये आयोजित उसी परीक्षा के नियमित सेमेस्टरांत परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करने के लिये द्वितीय एवं अंतिम बार उपस्थित हुआ हो ।

1.13 नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या संस्था/केन्द्र में प्रत्येक विषय जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा देने का आशय रखता हो, में नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम ।

1.14 विद्यार्थियों परीक्षा में शामिल होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति को पूरा करना होगा ।

1.15 अग्रेषण अधिकारी से अभिप्रेत है:

अग्रेषण अधिकारी से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख/संस्था/विभाग/केन्द्र जहॉ अभ्यर्थी के द्वारा नियमित या पूर्व में नियमित अभ्यर्थी के रूप में अध्ययन पाठ्यक्रम को नियमित रूप से किया गया हो तथा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में उपस्थित होना चाहता हो ।

1.16 अभिप्रमाणित से अभिप्रेत है अग्रेषण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित

1.17 विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग ।

अध्याय–दो

2. विश्वविद्यालयीन परीक्षा

2.1 विश्वविद्यालय, विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित सभी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम के लिये परीक्षा आयोजित करेगा तथा वह निर्धारित शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित सिलेबस के अनुसार, यथास्थिति, बैचलर/मास्टर डिग्री, स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये समय–समय पर अधिसूचित कर सकेगा ।

2.2 विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमित विद्यार्थियों एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ रहेगा।

परंतु विद्या परिषद्, ऐसी शर्तों जैसा कि विद्या परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए, को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए किसी विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयीन परीक्षा हेतु, अभ्यर्थी के किसी अन्य प्रवर्ग को भी अनुज्ञात कर सकेगा।

2.3 कोई व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय से निष्काषित अथवा निस्सारित किया गया है या विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, को दण्ड के प्रचलित रहने की अवधि के दौरान किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

परंतु विद्यार्थी को उपस्थिति में कमी के कारण एवं विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में यथा उपबंधित अन्य कारण से सेमेस्टर/वर्षांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगा।

3. कार्यक्रम विषय–वस्तु एवं अवधि

3.1 बैचलर/मास्टर डिग्री, एफ.फिल. डिग्री तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित कार्यक्रम के सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं/या अन्य विषयवस्तु समाविष्ट होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट क्रेडिट/अंक के अंतर्गत समय–समय पर अधिमान्यता दी जायेगी।

3.2 कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि में, शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम के लिये सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अवधि होंगे।

3.3 कार्यक्रम जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि सेमेस्टर में है को पूरा करने के लिये न्यूनतम अनुज्ञेय अवधि, (n+4) सेमेस्टर होगा जहां "n" सेमेस्टर का कुल संख्या है। कार्यक्रम की सभी अपेक्षाएं (n+4) सेमेस्टर में पूरा करना होगा।

4. सेमेस्टर

4.1 शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होंगे, प्रत्येक दो सेमेस्टर आगे दो कार्यकालों मे विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक सेमेस्टर लगभग 23 सप्ताह की कार्यवधि की होगी।

शैक्षणिक कैलेण्डर, शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

4.2 शिक्षण कार्य के लिए समर्पित सेमेस्टर के शैक्षणिक ब्यौरा निम्नानुसार होगा–

(क) शिक्षण प्रदान करना एवं/या प्रयोगशाला कार्य — 19 सप्ताह

(क्लास टेस्ट सहित)

(ख) तैयारी का अवकाश — 01 सप्ताह

(ग) सेमेस्टरांत परीक्षा, प्रायोगिक/प्रयोगशाला परीक्षा सहित — 03 सप्ताह

5. **आंतरिक अंकों की प्रस्तुति**

असाइनमेंट, क्लास टेस्ट का परिणाम एवं उपस्थिति का विवरण, सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रारंभ के कम से कम 10 दिनों के पूर्व परीक्षा के नियंत्रक को प्रस्तुत किया जायेगा। क्लास टेस्ट, असाइनमेंट एवं उपस्थिति के विहित अधिमान्यता पर आंतरिक अंक दिया जायेगा।

6. **विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश**

6.1 समस्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने अनुमति के लिए विहित परीक्षा प्रपत्र भरना होगा जो संकाय के संस्थान प्रमुख/संबंधित संस्थान/विभाग प्रमुख के प्रमुख के माध्यम परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जायेगा।

6.2 नियमित विद्यार्थियों के आवेदन को अग्रेषित करते समय संकाय के संस्था प्रमुख/संबंधित विद्यापीठ या संस्थान का प्रमुख प्रमाणित करेगा कि:

(एक) अभ्यर्थी ने सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाणपत्र द्वारा उसे संतुष्ट कर दिया है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण है जिसे अगले परीक्षा हेतु अर्हकारी है।

(दो) अभ्यर्थी विहित कालावधि के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम में नियमित रूप अध्ययनरत है तथा वह आवश्यक उपस्थिति की प्रतिपूर्ति करता है।

(तीन) उसका आचरण संतोषजनक है।

(चार) उपरोक्त उप–पैरा 6.2 (दो) के प्रमाण पत्र अनंतिम हैं और परीक्षा के पूर्व किसी भी समय प्रत्याहार्य की जा सकती है, यदि आवेदक विश्वविद्यालय सत्र के समापन के पहले व्याख्यानों की पूर्वापेक्षित संख्या, ट्यूटोरियल्स, प्रायोगिक, एन.सी.सी. परेड आदि में उपस्थित होने में असफल रहता है।

6.3 नियमित विद्यार्थी द्वारा विहित परीक्षा फीस के भुगतान की पावती के साथ इस अध्यादेश के सेट के लिए आवेदन प्रस्तुत की जायेगी। भूतपूर्व विद्यार्थी, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति हेतु परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पर या घोषणा होने की तिथि के पूर्व पहुंच जाना चाहिए।

6.4 अभ्यर्थी को विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के 7 दिवस के भीतर परीक्षा फीस एवं विहित विलंब फीस के साथ सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति परीक्षा नियंत्रण/कुलसचिव दे सकेगा।

6.5 एटीकेटी परीक्षा हेतु आवेदन, जहां कही लागू हो, संस्था, जिसमें वह अध्ययन का कोई नियमित पाठ्यक्रम किया हो, के अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर परीक्षा नियंत्रक/ कुल सचिव के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

6.6 द्वितीय एटीकेटी परीक्षा मे उपस्थित होने के लिये आवेदन संकाय में संस्था प्रमुख/संस्था प्रमुख या संबंधित विभाग के माध्यम से इसमें विहित एवं विनिर्दिष्ट प्ररूप में नियमित सेमेस्टर प्रारंभ होने के 30 दिवस के पूर्व परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

(एक) विषय या विषयों जिसमें वह परीक्षा हेतु प्रस्तुत होने की इच्छा रखता/रखती हो।

(दो) उसे पूर्व की परीक्षा में प्रवेश दिया गया था इसका आवेदन साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(तीन) भूतपूर्व विद्यार्थी को विषयों या वैकल्पिक पत्रों में जिसमें नियमित अभ्यर्थी के रूप में पूर्व में ऑफर दिया गया था, ऑफर दिया जायेगा यदि परीक्षा की योजना में परिवर्तन नहीं होता है तो परीक्षा हेतु परीक्षा या पाठ्यचर्या के योजना का एक भाग बंद होने पर उसके द्वारा प्रश्न पत्र/विषय का ऑफर दिया जायेगा तथा विभिन्न विषय या प्रश्न पत्र के ऑफर के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी।

(चार) भूतपूर्व विद्यार्थी को विभिन्न विषयों में अध्ययन के विनिर्दिष्ट महत्व के पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।

प्रत्येक भूतपूर्व विद्यार्थी, जहां से वह नियमित रूप से अध्ययन किया था, के विभाग/संस्थान/केन्द्र में परीक्षा हेतु उपस्थित होगा।

परंतु परीक्षा नियंत्रक, पर्याप्त कारणों और आवश्यकता से अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तन कर सकेगा।

6.7 विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी को तब तक प्रवेश नहीं लिया जायेगाः

(एक) अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित न हो।

(दो) परीक्षा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम को नियमित रूप से नहीं किया हो, जिसमें वह प्रवेश चाहता हो, परीक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारण न करता हो।

(तीन) इस अध्यादेश के समस्त अन्य प्रावधानों से संतुष्ट न हो जो उस पर लागू होते हो एवं कोई अन्य अध्यादेशों से नियंत्रित होने वाले प्रवेश परीक्षा जिसमें वह प्रवेश चाहता/चाहती हो।

6.8 जहां अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता है, ऐसे अतिरिक्त विषय की दशा में समान रूप में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता लागू होंगी।

6.9 अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम के संबंध में शर्तों को पूरा करने हेतु उपस्थिति की गणना निम्नानुसार होगी:–

(एक) शैक्षणिक सत्र के दौरान दिये गये व्याख्यानों एवं प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्र में उपस्थिति, यदि कोई हो की गणना होगी।

(दो) उच्च कक्षा में नियमित विद्यार्थी द्वारा उपस्थिति रखी जायेगी तथा निम्न कक्षा की परीक्षा हेतु उपस्थिति के प्रतिशत की गणना की जायेगी जिसमें उसके परिणाम के रूप में द्वितीय एटीकेटी परीक्षा में अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण में वापस किया जा सके।

6.10 अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या परीक्षक के समक्ष प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता या ऐसे अधिकारियों को संतुष्ट न कर देता है कि प्रवेशपत्र प्रस्तुत करूँगा। अधीक्षक या परीक्षक द्वारा प्रवेशपत्र जब भी मांगा जाये, अभ्यर्थी, प्रस्तुत करेगा।

6.11 परीक्षा कक्ष में, अभ्यर्थी केन्द्र अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होगा तथा वह उसके निर्देशों का पालन करेगा। अधीक्षक के निर्देशों का अभ्यर्थी द्वारा अपालन करने की स्थिति में या उसके अनुशासनहीन आचरण या अधीक्षक या किसी परीक्षक से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने पर, अभ्यर्थी को परीक्षा के उसी दिन से बाहर किया जा सकेगा और यदि वह लगातार दुर्व्यवहार करता है तो परीक्षा के अधीक्षक द्वारा पूरी परीक्षा से बाहर किया जा सकेगा और यदि उसका दुर्व्यवहार निरंतर जारी रहता है तो परीक्षा अधीक्षक द्वारा परीक्षा से बाहर किया जा सकेगा। परीक्षा अधीक्षक, कार्यवाही का संपूर्ण विवरण एवं ऐसी कार्यवाही किये जाने के कारणों को परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को उसी दिन भेजेगा।

7. उपस्थिति

7.1 अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल समझा जायेगा, यदि वह व्याख्यान, शिक्षण संबंधी और प्रयोगिक कक्षाओं में उपस्थित रहता है। परंतु विद्या परिषद विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसी उपस्थिति की कमी को माप कर सकेगा।

7.2 बीमारी के कारण, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के कैम्प और परेड में उपस्थिति, अंतर विश्वविद्यालयीन या अंतरराज्यीय विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में विश्वविद्यालयीन टीम के सदस्य के रूप में भागीदारी तथा विहित शैक्षणिक यात्रा/फील्ड का दौरा/फील्ड कार्य और कोई अन्य कारण से कुलपति द्वारा विद्यार्थी को कुल उपस्थिति के 15: की अधिकतम वृद्धि हेतु छूट दे सकता है, परंतु प्रभारी शिक्षक द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित उपस्थिति अभिलेख को संबंधित संस्था प्रमुख को कार्य/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर, भेजेगा।

7.3 परंतु यह और कि बीमारी/चिकित्सकीय अयोग्यता की स्थिति में, माफी के लिए आवेदन, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/लोक चिकित्सालय द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन)) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र या के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग /संस्थान/विभाग/अध्ययन केन्द्र के पदीय चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित समर्थित होगा। ऐसा आवेदन, इलाज/चिकित्सालय में भर्ती होने की अवधि के दौरान या स्वास्थ्य लाभ होने के दो माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

8. मूल्यांकन एवं परीक्षा

8.1 पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण, पाठ्यक्रम के क्रेडिट/अंक के अध्यधीन होगा।

8.2 पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के दो तत्व होंगे यदि शिक्षण और परीक्षा तथा पाठ्यचर्या की योजना में अन्यथा कथन विनिर्दिष्ट न हो:

(एक) सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से

(दो) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन

8.3 नियमित मूल्यांकनः

पाठ्यक्रम, जहां नियमित मूल्यांकन विहित है, वहां कक्षा परीक्षा, क्वीज, सौंपे गये कार्य, समुह चर्चा आदि पर आधारित होगा। संबंधित अध्ययन मंडल, कुलपति के अनुमोदन से इस मामले में विवरणों और साधनों को निर्धारित करेगा।

गैर–तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए भारः गैर–तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए विषयकार्य (असाइनमेंट) सुझाए गए भार हैंः निम्न है

कोर्स घटक	बैचलर डिग्री / अंडर–ग्रेडुएट	मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर
उपस्थिति	10%	10%
कक्षा परीक्षण	10%	5%
कक्षा परीक्षण द्वितीय	10%	5%
केस स्टडी	10%	10%
परियोजना प्रस्तुति और विवा	30%	10%
निबंध / थीसिस	-	30%
मिड–टर्म परीक्षा	30%	30%
कुल	**100%**	**100%**

4. तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए विषयकार्य (असाइनमेंट) भारः निम्नलिखित तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए विषय संबंधी कार्यभार के सुझाए गए भार हैंः

कोर्स घटक	बैचलर डिग्री / अंडर–ग्रेडुएट	मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर
उपस्थिति	10%	10%
कक्षा परीक्षण	5%	5%
कक्षा परीक्षण द्वितीय	5%	5%
केस स्टडी	10%	10%
परियोजना प्रस्तुति और मौखिकी	20%	10%
लैब असाइनमेंट और प्रैक्टिकल	20%	10%
निबंध / थीसिस	-	20%
मिड–टर्म परीक्षा	30%	30%
कुल	**100%**	**100%**

5. अंतिम पाठ्यक्रम मूल्यांकनः अंतिम पाठ्यक्रम मूल्यांकन अंतिम परीक्षा और निरंतर मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

पाठ्यक्रम घटक	प्रतिषत
अंतिम परीक्षा	50%
निरंतर मूल्यांकन	50%
कुल	**100%**

6. उत्तीर्ण करने के लिए मानदंडः सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक छात्र को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40ः अंक प्राप्त करना चाहिए जिसमें सेमेस्टर एंड परीक्षा के अंक और शिक्षक के निरंतर मूल्यांकन के अंक शामिल हैं, साथ ही प्रत्येक प्रश्न–पत्र/विषय पृथक–पृथक को 40ः अंक सेमेस्टर–एंड परीक्षा में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने तथा अपने असाइन किए गए क्रेडिट अर्जित करने के लिए सभी प्रश्नपत्रों पर` कुल 45ः अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक उम्मीदवार जो एक पेपर में कुल अंक का 40ः से कम अंक प्राप्त करता है और एक सेमेस्टर में सकल योग में 45ः से कम अंक प्राप्त करता है, उसे उस पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। एक छात्र परीक्षा परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिका के पुनः मुल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। पुनः जांच करने का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि प्रश्नपत्र के अनुसार सभी प्रश्न और उनके हिस्सों का विधिवत मुल्यांकन किया गया है, और अंकों की कुल संख्या का योग भी सही है। विसंगति मिलने की स्थिति में, दोनों परिणामों में उचित परिवर्तनों के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर अंत परीक्षा के अंक–पत्र में भी सुधार किया जाएगा।

क्रेडिट आधारित श्रेणीकरण प्रणालीः –

1. जीपीएः प्रत्येक सेमेस्टर के लिए श्रेणी अंक औसत (जीपीए) उस सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम श्रेणी अंक का भारित औसत होगा। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए जीपीए की गणना क्रमशः वैकल्पिक विषयों, अनिवार्य विषयों और अन्य सह–पाठ्यक्रम विषयों को दिए जाने वाले महत्व भार को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक मंडल द्वारा तैयार नियमों के अनुसार की जाएगी।

2. सीजीपीएः संचयी श्रेणी अंक औसत (सीजीपीए) शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश के बाद से

ली गइ सभी विषयों के लिए छात्रों द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम श्रेणी अंक का भारित औसत है। एनएच सेमेंस्टर के पश्चात सीजीपीए की गणना शैक्षणिक परिषद द्वारा तैयार नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में जीपीए और सीजीपीए की गणना दो दशमलव अंकों तक की जाएगी।

8.4 एसाइनमेंट (सौंपे गए कार्य) :

(एक) एसाइनमेंट के जारी, प्रस्तुत एवं मूल्यांकन करने का दायित्व संस्था प्रमुख या संबंधित महाविद्यालय या विभागों की होगी। वह पूरी ईमानदारी से एसाइनमेंट की तैयारी और मूल्यांकन को बनाये रखेगा।

(दो) सभी कक्षा, समूहों में विभाजित होगी। प्रत्येक समूह को न्यूनतम सामान्यता के साथ पृथक से एसाइनमेंट दिया जायेगा।

(तीन) विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय पर या संकाय द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम दो एसाइनमेंट दिये जायेंगे।

(चार) प्रत्येक विद्यार्थी, प्रस्तुतीकरण/साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुति के पश्चात् एसाइनमेंट के लिए पक्ष रखना आवश्यक होगा।

(पांच) एसाइनमेंट को विभिन्न विभागों के लिए समय–समय पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित मानक प्ररूप अनुसार तैयार किया जायेगा।

(छः) विद्यार्थी को एसाइनमेंट जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर एसाइनमेंट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(सात) अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये एसाइनमेंट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

8.5 शोध लेख/थीसिस

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के शोधलेख/थीसिस हेतु, जहां कहीं पाठ्यचर्या में विनिर्दिष्ट है, आंतरिक परीक्षकों जो सामान्यतः पर्यवेक्षक होंगे तथा एक या अधिक बाह्य परीक्षक होंगे से मिलकर बनी समिति द्वारा मूल्यांकन किये जायेंगे एवं अंक दिये जायेंगे। आंतरिक परीक्षक, 40 प्रतिशत में से अंक देंगे तथा बाह्य परीक्षक 60 प्रतिशत

में सें अंक देंगे। इस अध्यादेश में यथा विनिर्दिष्ट सुझाये गये तीन या अधिक नामों के पैनल से कुलपति द्वारा परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह शिक्षकों के नियमित मूल्यांकन परिनियमित रखने हेतु बुलाये जैसा कि किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे उचित प्रतीत हो।

8.6 सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन

		स्नातक डिग्री / पूर्व स्नातक डिप्लोमा	स्नातकोत्तर डिग्री / पूर्व स्नातक डिप्लोमा
अ.	सैद्धांतिक पाठ्यक्रम		
	(एक) सेमेस्टर अंत परीक्षा	70 प्रतिशत	70 प्रतिशत
	(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन	30 प्रतिशत	30प्रतिशत
ब.	प्रयोगिक / प्रयोगशाला पाठ्यक्रम		
	(एक) सेमेस्टर अंत परीक्षा		
	(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन	70प्रतिशत	70प्रतिशत
		30प्रतिशत	30प्रतिशत
स.	शोध लेख / थीसिस	70 प्रतिशत	70 प्रतिशत
	(एक) बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन		
	(दो) आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	30 प्रतिशत	30 प्रतशत

द. कार्यक्रम के कोई अन्य तत्व उपरोक्त के अंतर्गत न हों तो अधिकार के तत्व शासी निकाय द्वारा समर्थित अध्ययन मण्डल द्वारा विहित किया जायेगा।

श्रुति–लेखक की नियुक्ति

9.1. श्रुति लेखक निम्नलिखित की दशा में अनुज्ञात किया जायेगाः–

(एक) दृष्टिहीन अभ्यर्थी; और

(दो) अभ्यर्थी जो दुर्घटना या बीमारी के कारण असमर्थ है और स्वयं के हाथों से लिख पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त 9.1 (ख) के अधीन अभ्यर्थी को के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.2 परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर, श्रुति लेखक की नियुक्ति हेतु व्यवस्था करेगा और संबंधित परीक्षा अधीक्षक को सूचित करेगा।

9.3 श्रुति लेखक, संबंधित अभ्यर्थी की अपेक्षा कम योग्यता का व्यक्ति होगा।

9.4 परीक्षा अधीक्षक, असमर्थ अभ्यर्थी के लिए समुचित कक्ष की व्यवस्था करेगा तथा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिये गये सूची से विशेष परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

9.5 दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को, परीक्षा के 3 घंटे की अवधि के स्थान पर आधा घंटा अतिरिक्त दिया जायेगा।

9.6 श्रुति लेखक को, विद्यमान अनुमोदित दर में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा मानदेय दिया जायेगा।

10. **एटीकेटी अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मापदण्डः**

10.1 एटीकेटी परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होने हेतु पात्र होंगे–

(एक) अभ्यर्थी, जो किसी सेमेस्टर/वर्षांत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो और विशिष्ट सेमेस्टर/वर्ष जिसमें प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है, के पत्रों की कुल संख्या 35 प्रतिशत से अधिक न हो, एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये पात्र होंगे । पत्रों की कुल संख्या का 35 प्रतिशत की गणना में, भिन्नात्मक अंक हो तो विद्यार्थी के हितों के लिए हमेशा उच्चतर रूप से पूर्णांकित किया जायेगा।

(दो) परन्तु यदि अभ्यर्थी एटीकेटी के प्रथम प्रयास में किसी भी प्रश्न पत्र में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ है तो वह आगामी एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पात्र होगा ।

10.2 एटीकेटी परीक्षा के विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा भी है, की स्थिति में, अभ्यर्थी को केवल लिखित परीक्षा में, यदि वह मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक में उत्तीर्ण हो गया हो और केवल प्रायोगिक में यदि वह लिखित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो, उपस्थित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी जो लिखित प्रश्न पत्र और प्रायोगिक दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया हो, को विषय के दोनों भाग में परीक्षा देना होगा। प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर, दो विभिन्न प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण करने में असफल विद्यार्थी के रूप में परीक्षा लिया जायेगा।

10.3 इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अभ्यर्थी, जिसे एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया जा चुका हो, एटीकेटी परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में तत्काल होनी वाली अगली परीक्षा जिसमें उसे इस प्रकार के पात्र होने के लिये विवर्जित किया गया था, में उपस्थित हो सकेगा और उसके पश्चात् अगली परीक्षा में समस्त प्रश्न पत्र में उपस्थित होना आवश्यक होगा ।

10.4 कोई अभ्यर्थी जो एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो, यदि वह विषय या समूह, जैसी भी स्थिति हो, में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करता हो, परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा । एटीकेटी सेमेस्टरांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक अंकों को, परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम डिवीजन प्राप्तांक का अवधारण करते हुए गणना में लिया जायेगा ।

10.5 अभ्यर्थी के प्रथम प्रयास में उसके एटीकेटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल होने की स्थिति में, जब कभी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती है, विशिष्ट सेमेस्टर की नियमित परीक्षा में उन प्रश्न पत्रों के साथ उत्तीर्ण करने हेतु, उसी विशिष्ट अभ्यर्थी को द्वितीय एटीकेटी के रूप में ज्ञात एक और प्रयास करने हेतु अवसर दिया जायेगा ।

10.6 यदि ऐसा अभ्यर्थी, द्वितीय ऐटीकेटी के रूप में ज्ञात द्वितीय प्रयास में अपने प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने में असफल हो जाता है तो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना नहीं रह पायेगा।

अध्याय –तीन

11. विश्वविद्यालय परीक्षा का संचालन

11.1 विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें, कुलसचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जायेगी ।

11.2 परीक्षा की रूपरेखा, विश्वविद्यालयीन परीक्षा के प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कम से कम 10 दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

11.3 सैद्धांतिक के साथ–साथ प्रायोगिक परीक्षाओं एवं शोध लेख/थीसिस/परियोजना प्रतिवेदन/प्रशिक्षण प्रतिवेदन के सभी परीक्षकों की नियुक्ति, कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा की जायेगी ।

11.4

(एक) परीक्षा नियंत्रक प्रश्न पत्रों एवं उसे भेजे गये उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित अभिरक्षा के लिये व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा और उपयोग किये गये और अनुपयोगी प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सम्पूर्ण रिपोर्ट विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(दो) अधीक्षक, अपने अधीन कार्यरत परीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कड़ाई से परीक्षा संचालित करेगा।

11.5 कुलपति, समय–समय पर, गुणवत्ता ऑडिटर मण्डल की नियुक्ति यह दृष्टिगत रखते हुए कर सकेगा कि अभिकथित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षाओं को कड़ाई से संचालन हो । नियमों या प्रक्रियाओं के भंग होने के बिन्दु पर आईक्यूएसी के भारसाधक की दशा में कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो, इसमें केन्द्र में परीक्षा के सम्पूर्ण या किसी भाग को रोकना या रद्द करना भी सम्मिलित है तथा यदि किसी ऐसी कार्यवाही, कार्यवाही रिपोर्ट पर कर ली गई है तो उसे, प्रबंध मण्डल को उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।

11.6 यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य अधीक्षक का होगा कि यदि परीक्षार्थी वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन प्रपत्र भरा हुआ है, तो उसके प्रपत्र पर चस्पा किये गये फोटो की सही तरीके से जॉच करें ।

11.7 परीक्षा अधीक्षक, आवश्यकतानुसार, परीक्षकों के प्रदर्शन और परीक्षार्थी के सामान्य व्यवहार का उनमें उल्लेख करते हुए, परीक्षा संचालन के बारे में परीक्षा नियंत्रक को गोपनीय प्रतिवेदन भेजेगा । वह प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों की संख्या, अनुपस्थितों के रोल नम्बर एवं केन्द्र में हुए परीक्षा से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आवश्यक समझा जाये, किसी अन्य मामले के साथ–साथ जिसे वह विश्वविद्यालय की जानकारी में लाना उचित समझे, पर प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजगा । वह, परीक्षा के संचालन के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि और उपगत व्यय के लेखा विवरण संधारित करने हेतु तथा परीक्षा नियंत्रक को भी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11.8 केन्द्र अधीक्षक को पश्चातवर्ती परीक्षा के दिनों पर परीक्षार्थी को निम्न में से किसी भी आधार पर परीक्षा से बाहर करने की शक्ति होगी:

(एक) परीक्षार्थी ने परीक्षा केन्द्र में उपताप या गंभीर तनाव उत्पन्न कर दिया हो ।

(दो) परीक्षार्थी ने परीक्षक या परीक्षा कार्य के साथ न्यस्त स्टॉफ के सदस्यों को गंभीर आक्रमक मानोवृत्ति का प्रदर्शन किया हो ।

(तीन) यदि आवश्यक हो, अधीक्षक को पुलिस की सहायता प्राप्त हो सकेगी । जहॉ अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया हो, वहॉ परीक्षा नियंत्रक को तुरन्त सूचना दी जायेगी ।

(चार) अन्यथा निर्देश के सिवाय, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों को, अधीक्षक द्वारा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा । यदि अपेक्षित हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी परीक्षकों को बुलाया जा सकेगा ।

(पॉच) परीक्षार्थी किसी भी प्रयोजन के लिये, परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा के भीतर परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा और इसके प्रारंभ होने के आधा घंटा के बाद परीक्षा कक्ष में विलम्ब से पहुंचने वालों को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(छः) परीक्षार्थी, परीक्षा कक्ष को अस्थायी रूप से छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो न्यूनतम 15 मिनट की अवधि के लिए ऐसी अनुमति दी जायेगी ।

(सात) कोई भी अभ्यर्थी सामान्यतः परीक्षा देने के लिये प्रवेश नहीं करेगा यदि वह परीक्षा के प्रारंभ के 30 मिनट के पश्चात आता है । तथापि, विशेष परिस्थितियों में अधीक्षक नियत समय 30 मिनट के पश्चात भी आने वाले अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगा ।

11.9 कुलपति, ऐसे सभी केन्द्रों की परीक्षा रद्द कर सकेगा यदि वह संतुष्ट होता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है या कोई अन्य अनियमितता है जिसके लिए उसकी राय में कदम उठाना या प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट देना चाहिए।

11.10 कुलपति, परीक्षा संचालित करने हेतु, जैसा कि वह सुचारू संचालन के लिए आवश्यक महसूस करें, सामान्य सूचना जारी कर सकेगा ।

11.11 यदि अभ्यर्थी के पास प्रश्न पत्र में कोई कमी मिलने की कोई संसूचना है तो वह कुलसचिव को संबोधित करेगा किन्तु उसे परीक्षा नहीं देने या उसकी संसूचना के बाहर आने से उसके हित की प्रत्याशा में किसी प्रकर से बीच में उसे छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11.12 विश्वविद्यालय के विभागों में चल रहे कार्यक्रमों के लिये परीक्षक के नामों की अनुशंसा संबंधित अध्ययन मण्डल से प्राप्त की जा सकेगी । अत्यावश्यक होने पर और अध्ययन मण्डल की बैठक न होने पर, अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष, कि क्यों न अध्ययन मण्डल की बैठक बुलाई जाए, का स्पष्ट कथन करते हुए नामों की अनुशंसा करेगा ।

11.13 परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वयक/शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख/प्राचार्यों/प्राधिकृत अकादमिशियन से उसे प्राप्त परीक्षकों के पैनल में कुलपति के अनुमोदन हेतु सूची को जमा करने के पूर्व एक या अधिक नामों को जोड़ने हेतु प्राधिकृत होंगे ।

11.14 प्रश्नपत्र सेटर से प्रश्नपत्र प्राप्त होने के पश्चात्, माडेरेटर द्वारा उसमें सुधार किया जायेगा जो कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से विषयवार नियुक्त होंगे। परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विषय में सही तरीके से सुधार किये न्यूनतम तीन प्रश्न पत्र, प्रश्नपत्र बैंक में उपलब्ध होंगे।

11.15 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र बनाने हेतु अनुमोदित पैनल में से नियुक्त परीक्षक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हुये जहॉ पर लागू हों, केवल प्रश्नपत्र प्ररूप हेतु मार्गदर्शन के रूप में यदि विद्या परिषद द्वारा प्रश्नपत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया हो, प्रश्नपत्र सेट करेगा । प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के समस्त पाठ्यचर्या से बनाया जायेगा ।

11.16 अभ्यर्थी के परीक्षा के मामले में अधिमान्य उपचार प्राप्त करने हेतु, उसके निमित्त या उसके द्वारा कोई प्रयत्न किया गया है तो मामले की रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक को दी जायेगी जो मामले को कुलपति के समक्ष आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु रखेगा ।

11.17 परीक्षा समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित को छोड़कर, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के पत्री और प्रति पत्री तथा परीक्षा उत्तर पुस्तिका को, तालिका परिणामों को छोड़कर, परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तिथि से 12 माह के पश्चात् नष्ट या अन्यथा नष्ट कर दिया जायेगा। परंतु पुनर्मुल्यांकन के पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनमूल्यांकन परिणाम के घोषण के केवल 6 माह के पश्चात् ही नष्ट/खत्म कर दिया जायेगा।

11.18 परीक्षा नियंत्रक, इंटरनेट या विश्वविद्यालय वेबसाइट के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संयुक्त परिणामों को प्रकाशित करेगा।

11.19 प्रश्न पत्र सेटर, उत्तर लेखन, मूल्यांकन कर्ताओं, परीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, जांचकर्ताओं, तालिकाकारों, क्रम मिलान कर्ताओं को मानदेय दी जायेगी तथा चूक किया गया सूचित होने पर उसने ऐसी कटौती की जायेगी जैसा कि परीक्षा समिति द्वारा विहित किया जाए।

11.20 जहां पुनर्मुल्यांकन हेतु विद्यार्थी आवेदन करता है, विषयों की उत्तर पुस्तिका जिसमें पुनर्मुल्यांकन चाही गयी है, जो पहले मूल्यांकित किया है, से भिन्न परीक्षक को भेजा जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया परीक्षक, केवल उन प्रश्नों जिसे अचिन्हित किया हो, को मूल्यांकित एवं जांच करेगा। वह कुल नंबरों की भी जांच करेगा। पहले से ही मूल्यांकित प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मुल्यांकन नहीं होगा। विद्यार्थी के अंकों में परिवर्तन तभी होगा यदि पूर्व के मूल्यांकन के अंकों एवं पुनर्मुल्यांकन के अंकों में 10 प्रतिशत से अधिक अंतर हो या विद्यार्थी, परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हुआ हो, जो पूर्वोक्त अंतर, 10 प्रतिशत से अनधिक हो।

11.21 परंतु यह कि ऐसे परीक्षक, प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित मानेदय प्राप्त करेंगे।

11.22 कोई भी अभ्यर्थी, एक से अधिक डिग्री परीक्षा या एक से अधिक मास्टर डिग्री परीक्षा में एक से अधिक विषय में उसी वर्ष में उपस्थित नहीं होगा।

11.23 कोई व्यक्ति, जिसे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से निष्काषित या अस्थायी रूप से निकाला गया हो या विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से रोका गया हो, अवधि जिसमें सजा प्रचलन में हो, उस अवधि के दौरान किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11.24 विश्वविद्यालय की परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, विशेष मामलों में, जिसमें वह संतुष्ट हो कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब, अभ्यर्थी के जागरूकता में कमी या उपेक्षा के कारण से नहीं है तथा यह विद्यार्थी के लिए गंभीर कठिनाई होगी यदि उसके आवेदन को निरस्त किया जाता है।

अभ्यर्थी, जो प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर यथाविहित विलंब फीस के साथ सभी पहलुओं को अन्यथा पूर्ण करता है, का आवेदन अनुज्ञात किया जायेगा भले ही वह पूर्वागामी पैरा में उल्लिखित 15 दिन की अवधि के अवसान के बाद ही प्राप्त हो।

11.25 (1) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसे सम्यक रूप से जारी किये गये वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता। परीक्षा नियंत्रक अभ्यर्थी के पक्ष में एक आवेदन पत्र जारी करेगा, यदि –

(एक) अभ्यर्थी का आवेदन सभी तरह से पूर्ण है

(दो) अभ्यर्थी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान किया जा चुका हो।

(तीन) उपस्थिति सामान्यतः 75 प्रतिशत से अधिक हो।

11.26 जहां प्रायोगिक परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व हुआ हो, अभ्यर्थी को सैद्धांतिक परीक्षा में प्रवेशित नहीं माना जायेगा जब तक कि परीक्षा में उपस्थित होने हेतु प्रवेश पत्र न जारी किया गया हो।

11.27 परीक्षा में उपस्थित हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में जारी प्रवेश पत्र को वापस ली जा सकेगी यदि यह पाया जाता है कि:–

(एक) प्रवेश पत्र भूलवश जारी हुआ था या अभ्यर्थी, परीक्षा में उपस्थित होने का पात्र नहीं था।

(दो) अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई विवरण या जमा की गयी दस्तावेज या आवेदन के साथ नामांकन, संस्थान, महाविद्यालय या विद्यालय में प्रवेश असत्य, फर्जी या अस्पष्ट था।

11.28 परीक्षा नियंत्रक, यदि वह संतुष्ट है कि प्रवेश पत्र गुम या नष्ट हो चुका है, विहित फीस के भुगतान करने पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्रदान करेगा। ऐसी कार्ड में महत्वपूर्ण स्थान में "डुप्लीकेट" शब्द दर्शित होगा।

11.29 किसी विषय में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में लिखे उत्तरों की पुनः जांच हेतु, कोई अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, अपने अंकों की जांच हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदन, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशित होने के 15 कार्य दिवस के भीतर विहित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक तक पहुंच जाना चाहिए।

11.30 जांच के परिणामों की संसूचना अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

11.31 के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग के अन्य अध्यादेश में यथा उल्लिखित फीस का भुगतान करने पर भिन्न अनुगामी प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्रदान की जायेगी।

11.32 परंतु यह और कि आव्रजन प्रमाणपत्र, डिग्री, डिप्लोमा की डुप्लीकेट प्रति, प्रदाय नहीं किया जायेगा सिवाय इसके जिसमें कुलपति संतुष्ट है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य के स्टाम्प प्रश्न पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मूल दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया है तथा गुम हो गया है या वह विनष्ट हो चुका है तथा आवेदक को वास्तव में डुप्लीकेट प्रति की जरूरत है। डुप्लीकेट प्रति केवल एक बार जारी की जायेगी।

11.33 एटीकेटी परीक्षा के अलावा प्रत्येक अंतिम डिग्री परीक्षा में दस सफल अभ्यर्थियों का नाम जिन्होंने प्रथम श्रेणी पाई है, मेरिट के क्रम में घोषित किया जायेगा।

11.34 (एक) संबंधित परीक्षा अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, नियमित अभ्यर्थी के रूप मे सेमेस्टरांत परीक्षा में समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रायोगिक, साक्षात्कार, आंतरिक मूल्यांकन, क्षेत्र कार्य परियोजना में जो उपस्थित हुये हो और किसी स्नातक परीक्षा में तीन से कम विषयों में कुल पांच अंकों से कम से अनुत्तीर्ण हुए हो, परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु उसे पांच अंकों तक कृपोत्तीर्ण दिया जा सकेगा। इन अंकों की गणना कुल संख्या के रूप में नहीं की जायेगी। कृपोत्तीर्ण को अभ्यर्थी के अधिकार के मामले की तरह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह कुलपति का परमाधिकार है। यह संकाय उन अभ्यर्थियों जो उस विशिष्ट सेमेस्टर/वर्षान्त परीक्षा (अर्थात् प्रथम प्रयास में सभी सैंद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सत्रीय में) में 5 कृपोत्तीर्ण अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण करता है, के लिये उपलब्ध होगा ।

(दो) इसी तरह यदि अभ्यर्थी एक अंक से अपना प्रथम या द्वितीय श्रेणी आने से वंचित रहता है तो उसे उसके श्रेणी सुधार के लिये एक अंक का कृपोत्तीर्ण दिया जायेगा ।

(तीन) सैद्धांतिक प्रश्न पत्र से भिन्न में एवं एटीकेटी/पूरक विद्यार्थियों को कृपोत्तीर्ण अंक नहीं दिया जायेगा ।

11.35 प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक मण्डल द्वारा सेमेस्टरांत में प्रायोगिक परीक्षा, आयोजित की जायेगी। मण्डल, एक या अधिक से मिलकर बनेगी। ऐसे मामले में एक परीक्षक को मुख्य परीक्षक के रूप में पदाचिन्हित की जा सकेगी। मुख्य परीक्षक, परीक्षा के संचालन हेतु मार्गदर्शन देगा और मूल्यांकन में एकरूपता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मण्डलों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

11.36 किसी अन्य प्रकार की परीक्षा हेतु उपरोक्त लागू नहीं होगा। परीक्षा संचालित करने की रीति परीक्षा की पाठ्यचर्या/योजना में विशेष रूप से उपबंधित अनुसार होगा तथा ऐसे उपबंधों की अनुपस्थिति में, संबंधित अध्ययन मण्डल/समन्वय समिति की अनुशंसा पर, कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11.37 सेमेस्टर का परिणाम, (सेमेस्टरांत परीक्षा और शिक्षक का नियमित मूल्यांकन दोनों सम्मिलित हैं), परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जायेगा। तथापि, विस्तृत परिणाम की संवीक्षा के पश्चात् यदि परीक्षा नियंत्रक द्वारा यह अवलोकन किया जाता है कि संपूर्ण रूप में या विशेष पाठ्यक्रम की परीक्षा की गुणवत्ता में सुभिन्न परिवर्तन हुआ है तो वह मामले को कुलपति द्वारा विशेष प्रयोजन हेतु गठित सुधार समिति को भेज सकेगा।

11.38 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंतर्विष्ट करते हुए, प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, परिणाम घोषित करने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवार्ड सूची जारी की जायेगी।

अध्याय – चार

12. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने, अंकों तथा श्रेणियों के लिए मानदण्ड

12.1 सामान्यतः पूर्व–स्नातक विद्यार्थियों के लिये सेमेस्टरांत/ वर्षांत परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 35 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करना परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक होगा। उत्तीर्ण करने हेतु मानदण्ड के लिए उस विशिष्ट पाठयक्रम का अध्यादेश संदर्भित होगा। अभ्यर्थी, जो सेमेस्टर/ वर्ष में प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 35 प्रतिशत से कम अंक करता है, को उस विषय में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा। सामन्यतः स्नातकोत्तर के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक तथा सभी प्रश्नपत्र में कुल 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक है।

अभ्यर्थी, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करता है, को उस विषय में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा तथा अभ्यर्थी, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 45 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करता है, को उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा। उत्तीर्ण करने हेतु मानदण्ड के लिए उस विशिष्ट पाठयक्रम का अध्यादेश संदर्भित होगा।

12.2 विद्यार्थी, परिणाम घोषित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, विहित फीस का भुगतान करने पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के परीक्षा लेख की पुनर्योग हेतु आवेदन कर सकेगा। पुनर्योग से अभिप्रेत, यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्नों और उनके हिस्से प्रश्न पत्र के अनुसार सम्यक रूप से अंक दिये गये हैं और अंकों का कुल योग सही है। भिन्नता पाये जाने की स्थिति दोनों में, समुचित परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टरांत परीक्षा की अंकसूची में परिशोधन किया जायेगा।

12.3 स्नातक पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी से उपाधि पाठ्यक्रम के दौरान पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना अपेक्षित है। पर्यावरण अध्ययन के अंक किसी भी स्थिति में डीविजन को प्रभावित नही करेंगे।

12.4 इस संबंध में यू.जी.सी. और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के मानदंडों, यदि कोई हो, के अनुसार समस्त सुसंगत पाठ्यक्रमों में क्रेडिट ट्रांसफर लागू होंगे।

13. परिणामों की घोषणा

परीक्षा समिति परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होगी। इस संबंध में परीक्षा समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे:

(क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम की अपनी स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् कि सभी एवं विभिन्न विषयों का परिणाम प्रचलित मानदण्ड के अनुरूप है, समीक्षा करना एवं पारित करना और कोई प्रकरण, जहां परिणाम असंतुलित है, में की जाने वाली कार्यवाही के लिये कुलपति को अनुशंसा करेगी।

(ख) प्रश्न पत्रों के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करना।

(ग) अभ्यर्थी, जिसका उत्तर पुस्तिका परिवहन में गुम गई है, के मामले का निपटारा करना।

(घ) विद्या परिषद द्वारा समय–समय पर यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

(एक) अभ्यर्थी, जिसका परिणाम घोषित किया जा चुका है, विहित प्ररूप में 15 दिवस तथा विलंब फीस 500 रू. के साथ 30 दिवस या उसके परिणाम की घोषणा के समय से परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित के भीतर किसी उत्तर पुस्तिका के पुर्नमुल्यांकन या अंकों या परिणामों की पुनर्योग हेतु, परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा।

परंतु यह कि पुर्नमुल्यांकन की दशा में अभ्यर्थी को दो प्रश्न पत्र से अधिक का पुर्नमुल्यांकन करवाने की अनुमति नहीं होगी। परंतु यह और भी कि परीक्षा में प्रश्न पत्र के स्थान पर जमा किये गये प्रायोगिक लेख, क्षेत्र कार्य, सेशनल कार्य, परीक्षण, थीसिस एवं परियोजना कार्य के मामले में पुर्नमुल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।

(दो) अभ्यर्थी को अपने उत्तर लेख का पुर्नमुल्यांकन कराने हेतु आवेदन करने पर विहित फीस जमा करना होगा जिसे परीक्षा समिति समय–समय पर निर्धारित करेगी।

टीपः यदि किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या जांचकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही हो तो मामले को परीक्षा समिति की अनुशंसा के साथ विद्या परिषद को सौंपा जायेगा।

14. **अनुचित साधनों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहारः**

14.1 कोई अभ्यर्थी, परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित किसी पुस्तक, प्रश्नपत्र, नोट्स, इलेक्ट्रानिक सामग्री या अन्य सामग्री अपने साथ नहीं लायेगा न ही वह विनिर्दिष्ट अनुमति को छोड़कर परीक्षा कक्ष में किसी जानकारी को किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति को संसूचित करेगा या न ही प्राप्त करेगा।

14.2 कोई अभ्यर्थी स्याही सोखने वाली प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र पर या किसी अन्य वस्तु/सामग्री पर उसे दिये गये उत्तर पुस्तिका को छोड़कर कुछ भी टीप या लेख नहीं करेगा।

14.3 कोई अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को न तो सहयोग देगा या नहीं सहयोग लेगा अथवा परीक्षा से संबंधित गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

14.4 किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के संबंध नकल करते या कोई गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के कर्मचारी के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को संसूचित करेगा। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकेगा। संतुष्ट होने पर कि आरोप के तथ्य सही है अभ्यर्थी पर पूर्व चिन्तन किया जायेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जायेगा तथा किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने के तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए रोक दिया जोयगा।

14.5 किसी अभ्यर्थी जो परीक्षा अधीक्षक की राय में परीक्षा कक्ष में किये दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाया गया है इस अध्यादेश के उपरोक्त उप–पैरा 14.1 से 14.4 को छोड़कर, परीक्षा अधीक्षक द्वारा उसी प्रश्न पत्र से निष्काषित कर सकेगा। तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। उक्त समिति यदि संतुष्ट है कि लगाये गये आरोप के तथ्य सही है एक वर्ष के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उसे अयोग्य ठहरा सकेगा।

14.6 कोई परीक्षार्थी, परीक्षक या परीक्षा से संबंधित कर्मचारी को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो अपराध माना जायेगा। ऐसे मामलों को परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति, यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही है, अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य करार दे सकेगा तथा उसे एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए किसी परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकेगा।

14.7 कोई अभ्यर्थी, किसी परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को परीक्षा आयोजित करने के उसके कर्तव्यों के संबंध में बल प्रयोग करते हुए साधनों या प्रताड़ित या दबावपूर्वक या उपयोग करते हुए या धमकी देते हुए उसे हटाने का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा और गंभीर दुर्व्यवहार में लिप्त माना जायेगा। ऐसे मामलों को, परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित अधिकारी द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही है, अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य करार दिया जायेगा और/या विश्वविद्यालय से निकाल दिया जायेगा। तथा विश्वविद्यालय के भविष्य की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए उसे सही एवं उपयुक्त व्यक्ति नहीं होना घोषित किया जायेगा।

14.8 कोई अभ्यर्थी जिसे उपरोक्त उप–पैरा 14.5 से 14.7 के अधीन दण्डित किया जा चुका हो, नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को केवल अगले वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी, जिसमें दण्डावधि के अवसान होने के पश्चात् भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में वह उपस्थित होने का हकदार रहा/रही हो।

14.9 यदि कोई विद्यार्थी केन्द्र में अधीक्षक या किसी जांचकर्ता के सामने हिंसक तरीके या बल प्रयोग या बल का प्रदर्शन करता है या व्यक्ति सुरक्षा को संकट के दायरे में ला देता है या इस तरीके से दोनों ही करता है, उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन में प्राधिकारियों को रोकता है, तो अधीक्षक अभ्यर्थी को निष्काषित कर सकेगा और पुलिस की सहायता ले सकेगा।

14.10 यदि कोई परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर कोई घातक हथियार लेकर आता है तो उसे केन्द्र से निष्काषित किया जा सकेगा और/या अधीक्षक द्वारा पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

14.11 उपरोक्त 14.8, 14.9 एवं 14.10 में उल्लिखित किसी आधार पर निष्काषित किये गये अभ्यर्थी को बाद के प्रश्न पत्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14.12 प्रत्येक मामले में जहां उपरोक्त 14.10, 14.12, 14.14 के अधीन अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है की विस्तृत प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा तथा कार्य परिषद् अपराध की मात्रा के अनुसार उसे और दण्डित कर सकेगा। अभ्यर्थी को कारण दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद अभ्यर्थी के परीक्षा को रद्द करते हुए और/या एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक सकेगा।

14.13 कोई व्यक्ति, जो वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है कि स्थिति में, वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया जाता है, उपधारणा की जायेगी कि यह प्रतिरूपण घटना कारित किया है और वास्तविक अभ्यर्थी के साथ दुरभि सन्धि किया है तथा ऐसे व्यक्ति एवं ऐसे वास्तविक अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही नीचे दिये गये अनुसार की जायेगी:

(एक) वास्तविक अभ्यर्थी जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दिया है भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम करने से रोक दिया जायेगा तथा उसे समुचित कार्यवाही हेतु पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

(दो) व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा को देने से रोका जायेगा तथा समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है, समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

14.14 कोई अभ्यर्थी अंकों के श्रेणी प्रतिशत में सुधार हेतु परीक्षा में उपस्थित हो रहा है और अनुचित साधनों के उपयोग करते पकड़ा जाता है उसके श्रेणी/अंकों के प्रतिशत में सुधार हेतु जब फिर से उपस्थित होते समय उसके प्रश्न पत्र के परीक्षा परिणाम जिसमें वह उपस्थित हुआ है रद्द भी किया जायेगा इसके अतिरिक्त अनुचित साधनों के प्रयोग हेतु उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

14.15 दोषी विद्यार्थी पर पृथक से कोई सजा, उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव पर सम्यक विचार करने के पश्चात् दिया जायेगा।

14.16 परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक, परीक्षार्थी के वियद्ध जिसने परीक्षा हॉल या परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर परीक्षा के घंटों के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास किया है, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

(एक) परीक्षार्थी को उसके कब्जे में प्राप्त समस्त आपत्तिजनक सामग्री जिसमें उत्तर पुस्तिका भी सम्मिलित है के साथ समर्पण करने बुलाया जायेगा और तारीख और समय के साथ मेमोरेन्डम तैयार की जायेगी।

(दो) परीक्षार्थी और जांचकर्ता के बयान को अभिलिखित किया जायेगा।

(तीन) परीक्षार्थी को 'अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए डुप्लीकेट' मार्क किया हुआ उत्तर पुस्तिका जारी की जायेगी, परीक्षा हेतु विहित शेष समय के भीतर उत्तर देने का प्रयास करेगा।

(चार) संग्रहित किये गये सभी सामग्री और समस्त साक्ष्यों के साथ परीक्षार्थी के बयान और उत्तर पुस्तिका को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर, अधीक्षक के अवलोकन के साथ पैकेट में अनुचित साधन चिन्हित कर पंजीकृत पृथक गोपनीय मुहर लगाकर नाम से, कुलसचिव को, अग्रेषित किया जायेगा।